

59

Vanvihar N.P

वन विभाग

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 1981

क्र. 14-36-80-बस(2). -- जहाँ राज्य शासन का यह विचार है कि नौसे वनाई अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र वन प्राणियों की सुरक्षा, वृद्धि और विकास तथा उनके पर्यावरण को दृष्टि में रहकर है.

वाइल्ड वाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 (कमिशन 53, सन् 1972) की धारा 3(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन नीचे परिशिष्ट में दर्शाये गये क्षेत्र को "वनविहार राष्ट्रीय उद्यान" भाषा के रूप में स्थित करने का उद्देश्य घोषित करता है.

अनुसूची

जिला--भोपाल

तहसील--हज़ूर

राष्ट्रीय उद्यान--वन विहार

उद्यान का क्षेत्रफल--445.21 हेक्टर.

ग्रामों का नाम जिनका क्षेत्र सम्मिलित किया गया है:--

धरमपुरी, आमखेड़ा, एवं प्रेमपुरा.

सम्मिलित खसरा नम्बर का विवरण

ग्राम--धरमपुरी

सरकारी भूमि  
खसरा नंबर

(1)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (भाग) 9 (भाग)  
98-1-3-2 (भाग), 98-1-3, 98-1-3-1 (भाग)

क्षेत्रफल

(2)

142.14 हेक्टर

पट्टे की भूमि  
खसरा नंबर क्षेत्रफल

(3)

कुल क्षेत्रफल--142.14 हेक्टर

ग्राम--आमखेड़ा

सरकारी भूमि  
खसरा नंबर

(1)

40, 41, 42, 43, 44, 33 (भाग),  
35, 31, 36, 37 (भाग), 45/1,  
45, 34/2, 34 1/2, 46  
48, 49.

क्षेत्रफल

(2)

102.95 हेक्टर

पट्टे की भूमि  
खसरा नंबर क्षेत्रफल

(3)

कुल क्षेत्रफल 102.95 हेक्टर

ग्राम--प्रेमपुरा

सरकारी भूमि  
खसरा नंबर

(1)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2,  
8, 9, 10, 11/1, 11/2, 13, 14,  
15, 18/1 (भाग) 18/2, 16  
16/2, 17, 19, 20, 23, 24,  
25, 26, 27 (भाग) 29, 31, 36,  
37, 38, 39, 40, 41, 42, 46,  
58, 68/2, 62- (भाग) 143/5,  
149/4, 66/2, 43, 44/2 (भाग)  
52, 140/52 (भाग) 12/2, 113/112  
(भाग) 141, 21 (भाग) 47, 48,  
49 (भाग)

क्षेत्रफल

(2)

143.20 हेक्टर

पट्टे की भूमि  
खसरा नंबर क्षेत्रफल

(3)

14, 15, 18/1 (भाग) 12,  
21, 22, 28, 30 +  
14 1/2, 32, 33, 34,  
35, 43, 44/1, 44/2,  
45, 47, 48, 49, 50,  
51, 52/1, 140/52, 52,  
140/52 (भाग) 53, 54,  
55, 56, 57, 59/1,  
59/2, 60/1, 60/2, 51,  
68/1, 148/33 113,  
114, 141/112

56.92 हेक्टर

कुल क्षेत्रफल 200.12 हेक्टर

गाँव का नाम (1)	सरकारी क्षेत्रफल (2)	पट्टे की भूमि का क्षेत्रफल (3)
ग्राम धरमपुरी	142.14 हेक्टर	
ग्राम आमखंडा	102.95 हेक्टर	
ग्राम प्रेमपुरा	143.20 हेक्टर	56.92 हेक्टर
कुल क्षेत्रफल	388.29 हेक्टर	56.92 हेक्टर
महावोग	445.21 हेक्टर	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एन. जे. ओक, उप-सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 1981

क्र. 14-36-80-दस(2).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के संछ (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 14-36-80-दस (2), दिनांक 16 सितम्बर 1981 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एन. जे. ओक, उप-सचिव.

Bhopal, the 16th September 1981

No. 14-36-80-X(2).—Whereas the State Government consider that the area specified in the Schedule below is significant for the purpose of protecting, propagating and developing Wild Life and its environment:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 35(1) of Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972) the Government of Madhya Pradesh hereby declare its intention to constitute the area specified in the Schedule below as "Van Vihar National Park", Bhopal:—

#### SCHEDULE

District—Bhopal.

Tehsil—Huzar.

Name of National Park—Van Vihar.

Area of National Park—445.21 hectares.

Villages included in the area—

Dharam Puri, Amkhnera, and Prempura.

Details of Khasra Numbers

Village Dharamपुरी

Khasra Number (1)	Area (2)	Private Area (3)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Part) 9 (Part) 98/1/3/2 (Part) 98/1/3 (Part) 98/1/3/1 (Part).	142.14 hectares	Nil
Total Area	142.14 hectares.	

(61)

गुजरात राज्य, [साल 9 अप्रैल 1981]

Khasra Number Government Area (1)	Area (2)	Private Area Khasra Number (3)
Village — Amkhera		
40, 41, 42, 43, 44, 33 (Part), 35, 31, 36, 37 (Part), 45/1, 45/2, 34/2, 34/1/2, 46, 47, 48, 49	102.95 hectare	
Total Area ... 102.95 hectares		
Village — Prempura		
Khasra Number Government Area (1)	Area (2)	Private Area Khasra Number (3)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 13, 14, 15, 18/1, (Part) 18/2, 16/1, 16/2, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 (Part), 29, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 53, 68/2, 62 (Part), 143/5, 149/4, 66/2, 43, 44/2 (Part), 52, 140/52 (Part), 112/2, 113/112 (Part), 141, 21 (Part), 37, 48, 49 (Part)	143.20 hectares	14, 15, 18/1 (Part), 12, 21, 22, 28, 30 + 147/2, 32, 33, 34, 35, 43, 44/1, 44/2, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 140/52, 52, 140/52 (Part), 53, 54, 55, 56, 57, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61, 68/1, 143/33, 113, 114, 141/112
Total Area ... 200.12 hectares.		
Total Area ... 388.29 hectares		
Grand total ... 445.21 hectares.		

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
M. J. OKA, Dy. Secy.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 1981

क्र. एफ 3-18-78-संवह-मोड-4. — चूंकि मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड ने वर्ष 1971-72 की कालावधि के दौरान यूनानी चिकित्सा पद्धति तथा अल्प चिकित्सा में वैक्टर आफ यूनानी विश्व मान्डन सोडिसन एण्ड सर्जरी की चिकित्सीय अर्हता (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त अर्हता के नाम से निर्दिष्ट है) प्रदान की है

और चूंकि, उक्त अर्हता मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (क्रमांक 5, सन् 1971) (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है;

और चूंकि, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड ने उक्त अर्हता को मान्यता दी जाने के हेतु राज्य सरकार को आवेदन किया है;